संख्या: 6/2015/ 205/पैंतीस-2-2015-3/39(3)/15

प्रेषक,

कृष्ण कान्त अस्थाना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनउ: दिनांक 11 मार्च, 2015**

विषय- **अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्मिकों को गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से प्रशिक्षण दिलाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 315/एसएसएसपी सेल-38/2014 दिनांक 19.02.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव भेजा गया था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने संबंध में आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ से प्रशिक्षण दिलाये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये प्रति प्रशिक्षण सत्र रूपये 22,73,625/- की दर से 03 प्रशिक्षण सत्र हेतु रूपये 68,20,875/- (रूपये अड़सठ लाख बीस हजार आठ सौ पचहत्तर मात्र) का अग्रिम भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0: ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश सं0: ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.06.2011 मे निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4- प्रश्नगत संस्थान से प्रशिक्षण कार्य तेरहवें वित्त आयोग के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशिक्षण उच्च कोटि का होगा एवं वास्तविक व्यय के आधार पर भुगतान का समायोजन दिनांक 31.03.2015 तक कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन एवं प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- उक्त संस्थान से कार्मिकों के प्रशिक्षण के उपरान्त विस्तृत रिपोर्ट अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:एफ0ए0-1-82/दस-2015, दिनांक 11 मार्च, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://upgidc.up.nic.in

संख्या: 6/2015/205(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in